तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 1613 / 2004 / राजसमन्द** **मु0 सोहनी व अन्य बनाम जगदीश व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री योगेन्द्रसिंह शक्तावत, वकील प्रार्थीगण

अधिवक्ता अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित

——

निर्णय

दिनांकः— 12.05.2026

यह निगरानी अंतर्गत धारा 230 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ द्वारा वाद संख्या 253 / 2002 उनवानी जगदीश बनाम सोहनी व अन्य में पारित आदेश 02.04.2004 के विरूद्ध पेश की गई है।

निगरानी के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 / वादी ने एक राजस्व वाद वर्तमान प्रार्थीगण एवं राज्य सरकार के विरूद्ध विद्वान सहायक कलेक्टर, राजसमन्द जो बाद में उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ के यहां हस्तातंरण कर दिया गया, के समक्ष इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वाद के संल्ग्न परिशिष्ट 1 से 3 में वर्णित भूमियों के खातेदार श्री मोहनलाल पुत्र रूपा गुजर, निवासी ढ़िगरोली, तहसील आमेट थे । परिशिष्ट 1 में वर्णित भूमि के वह अकेले खातेदार थे एवं परिशिष्ट 2 व 3 की भूमियों में क्रमशः 1 / 2—1 / 2 हिस्सा रखते थे । स्व0 श्री मोहनलाल ने दिनांक 21.12. 1992 काो उपरोक्त वर्णित आराजियात सहित उनकी संपूर्ण सम्पति वादी को दे दी थी किन्तु उपरोक्त वर्णित आराजियात मोहनलाल को स्वर्गवास होने पर प्रार्थीया सोहनी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई । जिसमें से कुछ भूमि आगे चलकर प्रार्थी संख्या 2 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा विक्रय कर दी । शेष बची हुई भूमि को भी वह विक्रय करने पर उतारू है । इस कारण वादी को यह वाद प्रस्तुत पड़ा है । अतः वाद में दर्शाये अनुसार डिक्री किया जावे। अधी0न्याया0 ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया जिस पर प्रतिवादी ने उपस्थित होकर जवाब पेश कर वाद कथनों से इंकार किया तथा कथन किया कि स्व0 मोहनलाल की प्रतिवादी संख्या 1 अकेली उत्तराधिकारी एवं वारिस है । उनका स्वर्गवास होने पर नामांतकरण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विधिवत् स्वीकृत किया गया है । स्व0 मोहनलाल ने वादी के पक्ष में दिनांक 21.12.1992 को

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 1613 / 2004 / राजसमन्द** **मु0 सोहनी व अन्य बनाम जगदीश व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कोई वसीयत निष्पादित नहीं की है । वसीयत फर्जी है । अतः वाद खारिज किया जावे । वाद के विचाराधीन रहते प्रार्थीगण / प्रतिवादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 व दूसरा प्रार्थना पत्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत पेश कर तथाकथित वसीयत दिनांक 21.12.1992 पर स्व0 मोहनलाल के अंगूठा निशानी नहीं है बल्कि फर्जी है । इसलिये अंगूठा निशानी की एक्सपर्ट से जांच करवाई जावे । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 02.04.2004 के द्वारा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज किया । अधी0न्याया0 द्वारा पारित उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थीगण ने यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की है। विद्वान अधिवकता प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई । अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे । विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 02.04.2004 न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधि0 अस्वीकार करने में अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग किया है । वादी का संपूर्ण वाद ही स्व0 मोहनलाल द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 21.12.1992 पर आधारित है । प्रार्थीया संख्या 1 ने इस वसीयत को फर्जी होना बताया है । अप्रार्थी संख्या 1 फर्जी वसीयत पर मोहनलाल का अंगूठा निशान लगवाकर विवादित आराजियात को हड़पना चाहता है । चूंकि प्रार्थीया ने इस वसीयत पर मोहनलाल का फर्जी अंगूठा निशान होना बताया है इसलिये इस बात को प्रार्थीया द्वारा ही सिद्ध करना है, जो केवल एक्सपर्ट की राय से ही सिद्ध हो सकता है । ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी को प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र धारा 45 साक्ष्य अधि0 को निरस्त नहीं कर वसीयत पर मोहनलाल के अंगूठा निशानी की एक्सपर्ट से जांच करवाने के आदेश पारित करने चाहिये थे । अधी0न्याया0 का यह निष्कर्ष की यदि प्रार्थीया वसीयत को फर्जी मानती है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये ।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 1613 / 2004 / राजसमन्द** **मु0 सोहनी व अन्य बनाम जगदीश व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उक्त निष्कर्ष का आशय यह हुआ कि अधी0न्याया0 तथाकथित वसीयत को वैध मानता है । अधी0न्याया0 द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 45 साक्ष्य अधि0 को अस्वीकार करने के जो कारण दिये है वह अस्पष्ट एवं कारण रहित है । अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2004 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 45 साक्ष्य अधि0 स्वीकार करते हुए विधिसम्मत् आदेश पारित करें । हमनें अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 / वादी द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वर्तमान प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र तथाकथित वसीयत दिनांक 21.12.1992 के आधार पर पेश किया गया है । प्रार्थीया / प्रतिवादी ने अधी0न्याया0 के समक्ष जवाब पेश कर तथाकथित वसीयत को फर्जी होने का कथन किया एवं वाद के विचाराधीन रहते अधी0न्याया0 के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 45 साक्ष्य अधि0 के तहत पेश कर तथाकथित पर स्व0 मोहनलाल के अंगूठा निशानी की हस्तलेख विशेषज्ञ से जांच करवाने का निवेदन किया है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र केवल मात्र इस आधार पर खारिज किया है कि यदि प्रतिवादी / प्रार्थीया वसीयत को झूंठी व गलत होना मानते है तो सक्षम न्यायालय में उसके विरूद्ध चाराजोही करे । वसीयत पर अंकित मोहनलाल की अंगूठा निशानी बाबत् हस्तलेख विशेषज्ञ से राय क्यों नहीं ली जा सकती है इस संबंध में कोई सकारण आदेश पारित नहीं किया है । जबकि अधी0न्याया0 को वसीयत पर हस्तलेख विशेषज्ञ की राय क्यों नहीं ली जा सकती है इस संबंध में स्पष्ट विवेचन करते हुए आदेश पारित करना चाहिये था। किन्तु अधी0न्याया0 ने प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 45 साक्ष्य अधि0 को सरसरी तौर पर खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् आदेश नहीं माना जा सकता है । उपरोक्त विवेन के क्रम में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पायी जाती है । परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ द्वारा पारित आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 1613 / 2004 / राजसमन्द** **मु0 सोहनी व अन्य बनाम जगदीश व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 02.04.2004 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 45 साक्ष्य अधिनियम की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे प्रार्थना पत्र धारा 45 साक्ष्य अधिनियम पर उभयपक्ष को सुनकर सकारण आदेश पारित करे । तहत न्यायालय का रिकार्ड भिजवाया जाकर पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (भवानी सिंह पालावत) सदस्य	